(57)

JS - Cum - JD

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

नगर विकास एवं आवास विभाग
27 SEP 2012
2/214.
बिहार सरकार, पटना

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 14301/827.

दिनांक:- 25.9.12

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

4697/PS
28/9/12

महाशय,

नगर परिषद् जमुई के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 662/11–12 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। साथ ही अनुरोध है कि इस लेखा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

25/9/12
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

बी- अनिल

208
3/10/12

(56)

नगर परिषद् जमुई
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–652/11–12
(अवधि– 2008–09 से 2010–11 तक)

1.प्रस्तावना

जमुई नगर परिषद् के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा ,प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 09.01.12 से 21.01.12 की अवधि में किया गया।

2.प्रशासन

क्र0सं0	नाम	कार्य अवधि
	अध्यक्ष	
(i)	श्रीमती पुतुल देवी	01.04.08 से 24.06.09
(ii)	श्री अनिल साह	25.06.09 से 28.07.09
(iii)	श्रीमती पुतुल देवी	29.07.09 से 31.03.11
	उपाध्यक्ष	
(i)	श्री अनिल साह	01.04.08 से 24.06.09
(ii)	–रिक्त–	25.06.09 से 28.07.09
(iii)	श्री अनिल साह	29.07.09 से 31.03.11
	कार्यपालक पदाधिकारी	
(i)	श्री सुधीर कुमार	01.04.08 से 28.08.09 (पूर्वाहन)
(ii)	श्री विश्वनाथ साह	28.08.09 (अपराहन) से 04.05.10 (पूर्वाहन)
(iii)	श्री शहादत हुसैन	04.05.10 (अपराहन) से 31.03.11

3.अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण में नमूना जाँच किये गये पंजियों एवं अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट 1 (अ) में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया या अधूरा संधारित था को परिशिष्ट–1(ब) में दर्शाया गया है।

4.पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नगर परिषद् जमुई द्वारा पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन व उनमें लंबित कंडिकाओं के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों एवं कागजातों को अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों का अनुपालन नहीं किए जाने से लेखापरीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो गया।

अतः नगर परिषद् जमुई को पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलंब कार्रवाई की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखा परीक्षा, बिहार, पटना को भेजी जाये।

5.महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धियाँ

क्र0सं0	विवरण	कंडिका सं0
1	प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन (₹38.79 लाख)	10
2	अंकेक्षण के दौरान जमा राशि ₹2.21 लाख	14
3	सैरात बन्दोबस्तधारकों के पास बकाया ₹18.60 लाख वसूलनीय	17
4	बन्दोबस्तधारकों से स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं ₹2.25 लाख	18
5	कन्या विधालय, जमुई के समीप दुकानों का बकाया किराया ₹2.25 लाख वसूलनीय	19
6	शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर का सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं (₹10.25 लाख)	22
7	नगरपालिका निधि से सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन का अनियमित भुगतान (₹3.30 लाख)	24
8	सिकन्दरा पथ में संत जोसफ स्कूल के निकट बस स्टैण्ड के निर्माण पर व्यर्थ व्यय ₹6.15 लाख वसूलनीय	25
9	सोलर लाईट के क्रय में अनियमितता (₹25.31 लाख अंकेक्षण आपत्ति के अधीन)	26
10	श्रम उपकर की कटौती नहीं ₹2.58 लाख	28

6.आंतरिक अंकेक्षण

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के नियम 97 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम–1928(नियम 20, 64 एवं 73(क) में ऐसे जाँच की व्यवस्था की गई है जिससे नगरपालिका लेखाओं के संधारण एवं समन्वय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके।

नगर परिषद् जमुई के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त जाँच प्रक्रिया का कार्यान्वयन नगर परिषद् प्रशासन द्वारा वर्षों से नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप अनेक त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ हुई जिसका विश्लेषण आगे की कंडिकाओं में किया गया है। अतः भविष्य में नियमित अंतराल पर आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था की जाय ताकि अनियमितताओं व त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

7. अधिदृश्य (पी0एल0 रोकड़ बही)

नगर परिषद् जमुई मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान एवं निजी स्रोतों से प्राप्त आय द्वारा वित्त संपोषित थी। अंकेक्षण वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक की संक्षिप्त प्राप्तियों और व्ययों का सार इस प्रकार है:–

क्र0सं0	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	1,13,49,764.00	1,35,16,288.00	1,53,08,027.00
2	प्राप्तियाँ			
(क)	निजी स्रोतों से आय	28,67,495.00	29,15,286..00	3729669.00
(ख)	12वॉ वित्त आयोग	11,75,824.00	36,81,702..00	–
(ग)	मैचिंग अनुदान	14,56,100.00	19,09,467.00	–
(घ)	वेतन अनुदान	17,27,942.00	1295956.00	–
(ड़)	हाई मास्टर लाईट हेतु	16,90,000.00	–	–
(च)	प्रशासनिक भवन	38,79,075.00	–	–
(छ)	ई–गर्वनेंस हेतु	2,50,000.00	–	–
(ज)	स्टाम्प शुल्क	28,71,802.00	–	–
(झ)	पेंशन निधि	70,200.00	–	–
(ञ)	पार्षद भत्ता	1,38,000.00	–	1,38,000.00
(ट)	कबीर अंत्येष्टि	–	4,50,000.00	4,50,000.00

(ठ)	जनगणना हेतु	–	–	6,88,850.00
(ड)	सड़क निर्माण	–	–	74,59,000.00
(ढ)	सिटी मैनेजर वेतन	–	–	1,40,000.00
(ण)	अन्य	675083.00	3,43,460.00	8,92,340.00
	कुल (क से ण)	1,68,01,521.00	1,05,95,871.00	1,34,97,859.00
3	कुल प्राप्तियाँ (1+2)	2,81,51,285.00	2,41,12,159.00	2,88,05,886.00
4	कुल व्यय	1,46,34,997.00	88,04,132.00	1,73,75,467.00
5	अन्तशेष (3–4)	1,35,16,228.00	1,53,08,027.00	1,14,30,419.00

पी0एल0 रोकड़ बही के अनुसार 31.03.11 को शेष =₹1,14,30,729.00

अंतर = ₹310.00 (1,14,30,729–1,14,30,419)

अंकेक्षण आपत्ति

(क) उपर्युक्त ₹310.00 का अन्तर 2010–11 के रोकड़ बही के पृष्ठ सं0 12 प्राप्ति, पक्ष में जोड़ने में हुई भूल के कारण आ रहा था। इस अंतर को सुधारकर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

(ख) नगर परिषद् जमुई द्वारा वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। इसके अलावा न तो पी0एल0 रोकड़ बही के व्यय पक्ष का वर्गीकरण किया गया और न हीं अन्तशेष का विश्लेषण ही किया गया जिससे यह पता नहीं चल पाया कि किस मद से कितनी राशि खर्च हुई और कितनी अवशेष के रूप में बची है।

(ग) कई जगह रोकड़ बही में प्राप्तियों का वर्गीकरण भी नहीं किया गया जिसके कारण उल्लिखित प्राप्तियाँ किस मद से व किस उद्देश्य से प्राप्त की गई है इसकी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

(घ) व्यय मद में योजना सं0 दर्ज नहीं होने के कारण व्यय का योजना पंजी से मिलान संभव नहीं हो सका।

(ड़) रोकड़ बही में दर्ज की गई प्रविष्टियों की लिखावट भी स्पष्ट नहीं थी।

(च) कोषागार खाता लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त अनियमितताओं से स्पष्ट है कि पी0एल0 खाते का सही ढंग से संधारण नहीं किया गया जिसके कारण एक मद से दूसरे मद में राशि के विचलन से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त

अनियमितताओं को दूर कर रोकड़ बही का उचित तरीके से संधारण कर अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय।

8. आय–व्यय विवरणी

पी0एल0 रोकड़ बही के अतिरिक्त संधारित अन्य रोकड़ बही की आय–व्यय विवरणी की स्थिति निम्न है:–

(क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

क्र0सं0	मद	20008–09 (₹)	2009–10 (₹)	2010–11 (₹)
1	प्रारंभिक शेष	0	28,87,562.00	88,54,590.00
2	वर्ष की प्राप्तियाँ			
	(i) अनुदान	65,52,000.00	1,03,26,000.00	49,99,756.00
	(ii) अन्य	0	0	0
3	कुल प्राप्तियाँ	65,52,000.00	1,03,26,000.00	49,99,756.00
4	कुल योग (1+3)	65,52,000.00	1,32,13,562.00	1,38,54,346.00
5	वर्ष का व्यय	36,64,438.00	43,58,972.00	77,23,831.00
6	अन्तशेष (4–5)	28,87,562.00	88,54,590.00	61,30,515.00

बैंक खातों का शेष (31.03.11)

क्र0सं0	बैंक का नाम/खाता सं0	राशि(₹)
(i)	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जमुई, खाता सं0 6028	78,89,524.88
(ii)	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जमुई, खाता सं0 991954	7,51,783.00
(iii)	केनरा बैंक, जमुई खाता सं0 3080	9,56,611.00
	कुल	95,97,918.88

अंकेक्षण टिप्पणी

उपरोक्त क्रमांक (i) पर वर्णित खाता सं0 6028, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जमुई में स्वयं संसाधन से प्राप्त राशि को भी रखा गया था जिसके कारण इस खाते में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अंतर्गत 31.03.11 को

(5)

कितनी राशि अवशेष थी इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। उपरोक्त अवशेष को ज्ञात कर 31.03.11 को बैंक खातों व रोकड़ बही के अन्तर का बैंक समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

(ख) राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास योजना (National Slum Development Programme)

क्र0 सं0	मद	20008–09 (₹)	2009–10 (₹)	2010–11 (₹)
1	प्रारंभिक शेष	3,69,756.00	1,54,943.00	संधारण नहीं
2	वर्ष की प्राप्तियाँ			
	(i) अनुदान	शून्य	शून्य	
	(ii) ब्याज	31,831.00	4142.00	
3	कुल प्राप्तियाँ	31,831.00	4142.00	
4	कुल योग (1+3)	4,01,587.00	1,59,085.00	
5	वर्ष का व्यय	2,46,644.00	15,700.00	
6	अन्तशेष (4–5)	1,54,943.00	1,43,385.00	

बैंक खाते का शेष

क्र0 सं0	बैंक का नाम/खाता सं0	राशि(₹)
1	भारतीय स्टेट बैंक, जमुई खाता सं0 11212449580	56,186.65 (30.06.08 का शेष)
2	केनरा बैंक, जमुई खाता सं0 1079	96062.00 (01.08.09 का शेष)

अंकेक्षण आपत्तियाँ

(i) उपरोक्त रोकड़ बही एवं संबंधित बैंक खाते को अद्यतन नहीं किया गया था जिसके कारण 31.03.11 को रोकड़ बही व बैंक पास बुक के शेष का पता नहीं चल सका। उपरोक्त रोकड़ बही एवं संबंधित बैंक पास बुक को अद्यतन कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

अव्यवहृत अनुदान राशि के उपयोग न होने की स्थिति में स्वीकृतिदाता को वापस की जाय।

(ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)

अनुदान राशि ₹20.03 लाख का अवरोधन

क्र0 सं0	मद	20008–09 (₹)	2009–10 (₹)	2010–11 (₹)
1	प्रारंभिक शेष	21,89,043.00	19,14,152.00	संधारण नहीं
2	वर्ष की प्राप्तियाँ			
	(i) अनुदान	शून्य	शून्य	
	(ii) ब्याज	2,35,509.00	शून्य	
3	कुल प्राप्तियाँ	2,35,509.00	शून्य	
4	कुल योग (1+3)	24,24,552.00	19,14,152.00	
5	वर्ष का व्यय	5,10,400.00	11,250.00	
6	अन्तशेष (4–5)	19,14,152.00	19,02,902.00	

बैंक खातों का शेष (31.03.11)

क्र0 सं0	बैंक का नाम/खाता सं0	राशि(₹)
1	यूको बैंक, जमुई खाता सं0 022202	10,51,086.00
2	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जमुई खाता सं0 5960	9,52,538.25
		20,03,624.00

अंकेक्षण आपत्तियाँ

(i) उपरोक्त रोकड़ बही में अप्रैल '10 के बाद कोई भी प्रविष्टि दर्ज नहीं की गईं। यह एक गंभीर मामला है।

(ii) उपरोक्त व्यय से संबंधित योजना पंजी/अभिश्रव/संचिका लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण किये गये व्यय की लेखा परीक्षा जाँच नहीं की जा सकी। अगले अंकेक्षण को इस प्रस्तुत किये जाने तक ₹5,21,650.00 आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(iii) उपरोक्त योजना मद से संबंधित बैंक पास बुक से ज्ञात हुआ कि ₹20,03,624.25 अभी भी बैंक खातों में अवशेष पड़ी है फलस्वरूप जिन उद्देश्यों हेतु उपरोक्त अनुदान प्राप्त की गई थी उसका उद्देश्य अधूरा रह गया। उपरोक्त राशि के उपयोग न होने की स्थिति में स्वीकृतदाता को वापस की जाय।

9.सरकारी अनुदान

नगर परिषद् जमुई द्वारा सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। जिसके कारण अंकेक्षण में यह पता नहीं चल सका कि 31.03.11 को किस अनुदान की राशि कितनी खर्च हुई व कितनी अवशेष के रूप में बची थी। अनुदान पंजी को संधारण नहीं होने के कारण किसी भी अनुदान की विचलन को संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

पी0एल0 रोकड़बही व अन्य रोकड़ बही के अनुसार निम्नलिखित अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि में नगर परिषद् जमुई को प्राप्त हुईः–

वर्ष 2008–09 में प्राप्त अनुदान की विवरणी

क्र0सं0	प्राप्ति की तिथि	प्राप्ति की विवरणी/ पत्रांक/दिनांक	राशि(₹)	अनुदान का उद्देश्य	अनुदान जमा
(i)	03.05.08	ड्राफ्ट सं0 109625	11,75,824.00	12 वाँ वित्त आयोग	पी0एल0 रोकड़ बही
(ii)	03.05.08	ड्राफ्ट सं0 109695	14,56,100.00	मैचिंग ग्रान्ट	पी0एल0 रोकड़ बही
(iii)	03.05.08	उप विकास आयुक्त जमुई ,चेक सं0 222428	65,52,000.00	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़ बही

(iv)	30.10.08	जि0 पदा0 ज्ञापांक 150 / 19.09.08 (सम विकास योजना)	16,90,000.00	हाइमास्ट लाईट क्रय हेतु	पी0एल0 रोकड़ बही
(v)	01.12.08	नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 3120 / 17.06.08	38,79,075.00	प्रशासनिक भवन	पी0एल0 रोकड़ बही
(vi)	01.12.08	नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 4535 / 29.08.08	1,38,000.00	निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता	पी0एल0 रोकड़ बही
(vii)	01.12.08	नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 4968 / 19.09.08	2,50,000.00	ई–गवर्नेस व कम्प्यूटर क्रय हेतु	पी0एल0 रोकड़ बही
(viii)	01.12.08	नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 9207 / 01.10.08	17,27,942.00	वेतन हेतु	पी0एल0 रोकड़ बही
(ix)	18.12.08	स0 निबंधन महानिदेशक पत्रांक 1259 / 20.05.08	28,71,802.00	स्टाम्प शुल्क	पी0एल0 रोकड़ बही
		योग	**1,97,40,743.00**		

2009–10 में प्राप्त अनुदान की विवरणी

क्र0सं0	**प्राप्ति की तिथि**	**प्राप्ति की विवरणी / पत्रांक / दिनांक**	**राशि(₹)**	**अनुदान का उद्देश्य**	**अनुदान जमा**
(i)	30.09.09	उप विकास आयुक्त, जमुई पत्रांक 923 / 27.06.09	48,20,000.00	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़ बही
(ii)	25.11.09	जि0पदा0 जमुई चेक सं0 179735	4,50,000.00	कबीर अन्त्येष्टि	पी0एल0 रोकड़ बही

(47)

(iii)	25.11.09	नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 117/10.09.10	23,51,647.00	12 वाँ वित्त आयोग	पी0एल0 रोकड़ बही
(iv)	31.01.10	उप विकास आयुक्त, जमुई पत्रांक 2087/31.12.09		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़ बही
		चेक सं0 334804	9,00,000.00		
		चेक सं0 334805	9,00,000.00		
		चेक सं0 334806	9,00,000.00		
		चेक सं0 334810	9,00,000.00		
		चेक सं0 334811	9,56,000.00		
		चेक सं0 334812	9,50,000.00		
			55,06,000		
(v)	31.03.10	न0 वि0 आ0 वि0 पत्रांक 16/05.03.10	12,95,956.00	वेतन मद	पी0 एल0 खाता
(vi)	31.03.10	न0 वि0 आ0 वि0 पत्रांक 26/16.03.10	19,09,467.00	मैचिंग ग्रान्ट	पी0एल0 खाता
(vii)	31.03.10	न0 वि0 आ0 वि0 पत्रांक 28/17.03.10	13,30,055.00	12 वाँ वित्त आयोग	पी0एल0 खाता
		योग	1,76,63,125.00		

2010–11 में प्राप्त अनुदान की विवरणी

क्र0सं0	प्राप्ति की तिथि	प्राप्ति की विवरणी/ पत्रांक/दिनांक	राशि(₹)	अनुदान का उद्देश्य	अनुदान जमा
(i)	17.05.10	जी0 ओ0 न0 1832/09.04.10	41,24,000.00	सड़क निर्माण कार्य	पी0एल0 खाता
(ii)	20.07.10	चेक सं0 228171	4,50,000.00	कबीर अंत्येष्टि	पी0एल0 खाता
(iii)	13.08.10	न0 वि0 आ0 वि0 पत्रांक 66/22.04.10	33,35,000.00	सड़क निर्माण कार्य	पी0एल0 खाता

(iv)	13.08.10	न0 वि0 आ0 वि0 पत्रांक 69/26.04.10	1,38,000.00	पार्षद भत्ता	पी0एल0 खाता
(v)	30.12.10	उप विकास आयुक्त, जमुई	17,71,456.00	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़ बही
	30.12.10	उप विकास आयुक्त, जमुई	32,28,300.00	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़ बही
(vi)	21.01.11	न0 वि0 आ0 वि0 चेक सं0 708338	1,40,000.00	सिटी मैनेजर हेतु	पी0एल0 खाता
(vii)	20.01.11	जिला पदा0 जमुई चेक सं0 365240	4,06,800.00	जनगणना हेतु	पी0एल0 खाता
(viii)	21.03.11	जिला पदा0 जमुई चेक सं0 844783	2,82,050.00	जनगणना हेतु	पी0एल0 खाता
		योग	1,38,75,606.00		

	राशि(₹)	वर्ष
रोकड़ बही के अनुसार 2008–09 से 2010–11 में प्राप्त कुल अनुदान	1,97,40,743.00	2008–09
	1,76,63,125.00	2009–10
	1,38,75,606.00	2010–11
	5,12,79,474.00	

अनुदान पंजी का संधारण किया जाय तथा अनुदान पंजी ,उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाय।

10.प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन (₹38.79 लाख)

नगर परिषद्, जमुई के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु नगर विकास विभाग के पत्र सं0 3120 दिनांक 17.06.08 द्वारा ₹38,79,075.00 (कुल राशि 51,72,100 का 76%) प्राप्त हुआ जिसे कोषागार खाता में दिनांक 01.12.08 को जमा कर प्रविष्टि रोकड़ बही मे की गई।

नगर परिषद् कार्यालय के ज्ञापांक 629, 630, 631 एवं 632 दिनांक 23.10.08 द्वारा क्रमशः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी , जमुई, उपविकास आयुक्त जमुई, जिला पदाधिकारी जमुई एवं प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास , बिहार सरकार, पटना को "नगर परिषद् के स्वयं की जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण", वर्त्तमान कार्यालय भवन के पश्चिम प्रखण्ड परिसर की खाली जमीन में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु अनुमति माँगी गई।

उक्त पत्र के आलोक में पत्रांक 2636/14.11.08 के माध्यम से उप–विकास आयुंक्त ,जमुई द्वारा प्रशासनिक भवन हेतु मूल अभिलेख, चयनित जमीन का प्रतिवेदन, अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन, जमीन का स्वामित्व, मॉडल नक्शा आदि की माँग की गई। उक्त पत्र के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, जमुई द्वारा पत्रांक 697/26.11.08 द्वारा अंचलाधिकारी, जमुई से उक्त जमीन से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया।

उक्त पत्र के बाद संचिका में कुछ भी दर्ज नहीं पाया गया। संबंधित संचिका से ज्ञात होता है कि उक्त तिथि के बाद न तो अंचलाधिकारी द्वारा संबंधित कागजात उपलब्ध कराया गया और न ही उप–विकास आयुक्त जमुई को जमीन उपलब्ध करवाने हेतु माँगी गई कागजात प्रस्तुत कराया गया। नगर परिषद् द्वारा भी कोई स्मार–पत्र नहीं दिया गया। फलस्वरूप योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाया तथा योजना का उद्देश्य विफल रह गया तथा विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त राशि (₹38.79 लाख) दिनांक 01.12.08 से अवरूद्ध रही।

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) नगर परिषद् द्वारा प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु दिनांक 26.11.08 के बाद किसी तरह की कोई प्रक्रिया न अपनाए जाने का कारण से अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया। अंकेक्षण दल को बताया गया कि प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु नगर परिषद्, जमुई के बोर्ड की बैठक में स्थल परिवर्तन करते हुए पुनरीक्षित प्रस्ताव विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया है। पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार होते ही विभाग से स्वीकृति प्राप्ति हेतु भेजा जाएगा।

(ख) सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान को कोषागार में विलम्ब से दिनांक 01.12.08 को जमा किये जाने के कारण से भी लेखापरीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया। अगले अंकेक्षण में स्पष्ट की जाय।

11. द्वादश वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त अनुदान

वर्ष 2008–09 से 2009–10 में द्वादश वित्त आयोग अंतर्गत कुल ₹36.60 लाख प्राप्त हुए जिनका मदवार विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	मद	2008–09 (₹)	2009–10 (₹)
1	ठोस अपशिष्ट (50%)	5,87,912.00	12,42,326.00
2	ई–गवर्नेंस (1%)	11,758.00	24,847.00
3	क्षमतावर्द्धन (3%)	35,275.00	74,540.00
4	नागरिक सुविधा	5,40,879.00	11,42,939.00
5	कुल अनुदान (1 से 04)	11,75,824.00	24,84,652.00
	कुल 36,60,476 (1175824.00 +2484652.00)		

उपरोक्त प्राप्त अनुदान तथा पूर्व में प्राप्त अनुदान की अवशेष राशि में मदवार व्यय विवरणी अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया इसके अलावा सरकार को भेजी गई उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप द्वादश वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की मदवार उपयोगिता/व्यय की लेखा परीक्षा जाँच नहीं की जा सकी।

12. बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 82 से 84 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष बजट का प्राक्कलन तैयार करेगा। मुख्य पार्षद प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करेगा। नगरपालिका, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो, पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट प्राक्कलन राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के निदेशक/स्थानीय निकायो के निदेशक अथवा स्थानीय निकायों के क्षेत्रिय उप निदेशक द्वारा प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से संबद्व उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा दी जायेगी।

परन्तु बजट संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त प्रावधान का पालन नहीं किया गया जो कि विवरणी से स्पष्ट है:–

क्र0सं0	वर्ष	बजट तैयार करने की तिथि	बोर्ड द्वारा पारित करने की तिथि	सरकार को भेजने की तिथि	अभि0
(i)	2008–09	30.04.08	30.04.08	–	कितने राशि का बजट पारित किया गया कार्यवाही में दर्ज नहीं
(ii)	2009–10	21.03.09	21.03.09	30.03.09 (उप सचिव नगर वि0 एवं आ0 विभाग)	
(iii)	2010–11	28.02.11	27.07.11	28.07.11	बोर्ड द्वारा पारित कार्यवाही की प्रति संचिका में उपलब्ध नहीं

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) विलम्ब से बजट पारित किया जाना

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन न तो समय पर तैयार किया गया और न ही समय पर पारित किया गया। यहाँ तक कि वर्ष 2010–11 का बजट प्राक्कलन 27.07.11 अर्थात् वित्तीय वर्ष बीत जाने के चार माह बाद पारित किया गया। बजट प्राक्कलन का वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद पारित किये जाने का औचित्य लेखापरीखा में स्पष्ट नहीं किया गया।

(ii) बजट प्राक्कलन सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया या नहीं संचिका से स्पष्ट नहीं था।

(iii) बजट प्राक्कलन में पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक आय तथा व्यय को नहीं दर्शाया गया था।

(iv) वर्ष के अन्त में पूरे वर्ष का वास्तविक आय तथा व्यय का मदवार लेखा तैयार नहीं किया गया जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि व्यय बजट के अन्दर किया गया या नहीं तथा लक्षित आय प्राप्त किया गया या नहीं।

उपरोक्त विवरणियों से स्पष्ट है कि बजट तैयार किया जाना मात्र एक औपचारिकता भर था इसे तैयार किये जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया। भविष्य में नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आय–व्यय (वार्षिक लेखा) तैयार किया जाय।

13.लेखांकन से बाहर की राशि

नगर परिषद् जमुई द्वारा निम्नलिखित दो बैंक खातों का संचालन किया गया जिसके लिए रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया जिसकी विवरणी निम्न है:–

(क) केनरा बैंक, जमुई, खाता सं0 3131

जिला पदाधिकारी/जमुई के आदेश सं0 67/जि0 योजना द्वारा दिनांक 22.06.09 को सम विकास योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि ₹9,10,000.00 को दिनांक 05.08.09 को उपरोक्त खाते में जमा कराई गई। उक्त बैंक खाते के अनुसार जमा व निकासी का विवरण निम्न है:–

क्र0सं0	मद	2009–10	2010–11
(i)	प्रारंभिक शेष	0	6,20,675.00
(ii)	जमा		
	(a) अनुदान	9,10,000.00	0
	(b)ब्याज	10,675.00	22,025.00
(iii)	कुल जमा	9,20,675.00	22,025.00
(iv)	कुल योग(i+iii)	9,20,675.00	6,42,700.00
(v)	निकासी	3,00,000.00	0
(vi)	शेष राशि (31 मार्च)	6,20,675.00	6,42,700.00

अंकेक्षण आपत्तियाँ

(i) उपरोक्त बैंक पास बुक के जाँच के क्रम में पाया गया कि 2009–10 में ₹9,10,000.00 अनुदान के रूप में तथा 2009–10 एवं 2010–11 में ₹ 10,675 ब्याज के रूप में प्राप्त हुई एवं योजना मद में कुल व्यय ₹3,00,000.00 (बोधवन तालाब पर हाइमास्ट लाईट लगाने के लिए शिवम इन्टरप्राइजेज, झाझा को अग्रिम के तौर पर दी

(41)

गई) किया गया। इसके अलावा वर्ष 2010–11 में ब्याज के रूप में ₹22025 की प्राप्ति हुई। परन्तु इसका लेखांकन किसी भी रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया, अतः उपरोक्त प्राप्तियाँ व व्यय की राशि लेखांकन से बाहर रह गई जो अनियमित था।

उपरोक्त प्राप्तियाँ व व्यय को संबंधित रोकड़ बही में दर्ज कर इसे नियमित किया जाय एवं अगले अंकेक्षण को इससे अवगत कराया जाय।

(ख) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जमुई, (खाता सं0 6028)

नगर परिषद् जमुई द्वारा बताया गया कि उपरोक्त बैंक खाते का संचालन पी0एल0 खाते से वेतन व अन्य व्यय हेतु निकासी कर इस खाते में रखकर वितरण/व्यय हेतु किया जाता है। परन्तु वर्ष 2008–09 से 2010–11 में संबंधित बैंक पास बुक के जाँच के क्रम में पाया गया कि इस खाते में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मद से प्राप्त अनुदान की राशि एवं विविध रसीदों से की गई प्राप्तियों को जमा किया गया। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को छोड़कर अन्य का लेखांकन किसी भी रोकड़ बही में नहीं किया गया था।

(हालॉकि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मद से प्राप्त राशि को इस खाते से केनरा बैंक, जर्मुइ, खाता सं0–3080 में अंतरित किया गया था।)

बैंक पास बुक दिनांक 21.01.2009 से ही उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार निम्न राशि में बैंक में जमा की गई थी–

1. श्री संतोष प्रसाद/रोकड़पाल के द्वारा 31.03.11 तक जमा की गई राशिः–

क्र0सं0	विविध रसीद सं0	बैंक में जमा की तिथि	राशि(₹)
(i)	6701	23.03.10	1,22,000.00
(ii)	6706	30.03.10	5,51,000.00
(iii)	7081	07.03.11	3,00,000.00
(iv)	7213	28.03.11	7,04,625.00
(v)	7214	28.03.11	
		कुल	16,77,625.00

2. श्री त्रिपुरारी ठाकुर/कर संग्राहक के द्वारा 31.03.11 तक नकद जमा की गई राशिः–

क्र0सं0	विविध रसीद सं0	बैंक में जमा की तिथि	राशि(₹)
(i)	7119 से 7128	30.03.11	5,01,500.00

3. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि मद से प्राप्त राशि जो उपरोक्त खाते में जमा कराई गई:–

क्र0 सं0	प्राप्त राशि का विवरण	बैंक में जमा करने की तिथि	राशि(₹)
(i)	उप विकास आयुक्त, जमुई द्वारा प्राप्त राशि ₹17,71,456.00	14.12.10	17,71,456.00
(ii)	₹32,28,300.00	22.12.10	32,28,300.00
		कुल	49,99,756.00

अंकेक्षण आपत्तियाँ

(i) पूर्वोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि उक्त खाते में जमा कुल राशि ₹21,79,125.00 (16,77,625+5,01,500) लेखांकन से बाहर रहा।

किन कारणों से पूर्वोक्त राशि खाता सं0 6028 (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया) में रखा गया तथा संबंधित रोकड़बही में प्रविष्ट नहीं किया गया,। अंकेक्षण दल को स्पष्ट नहीं किया गया।

(ii) यह भी पाया गया कि उक्त खाते में दिनांक 31.03.11 को ₹78,89,524.00 अवशेष था जिसमें कुल ₹71,78,881.00 (नगद जमा ₹21,79,125 +अनुदान की राशि ₹49,99,756.00) पूर्वोक्त राशि सम्मिलित थी। उक्त खाते में शेष ₹7,10,643.00 (78,89,524–71,78,881) किस मद की थी इसे अंकेक्षण दल को स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः लेखांकन से बाहर की राशि को संबंधित रोकड़बही में दर्ज कर एवं वर्ष 2008–09 से 2010–11 में उक्त खाते मे जमा तथा निकासी की जाँच कर प्रतिफल से अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय।

(39)

14.संग्रहण राशि ₹1.45 लाख का नगर परिषद कोष में नहीं/कम जमा

होल्डिग कर/विविध कर/प्राप्तियों से प्राप्त राशि ₹368203.00(1461313–1093110) को विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा नगर परिषद् कोष में जमा नहीं किया गया था।

अंकेक्षण के दौरान बताये जाने पर उक्त राशि में से ₹2,23,067.00 नगर परिषद् कोष में जमा करवाया गया तथा शेष राशि ₹1,45,136.00 विभिन्न कर संग्राहकों व प्राप्तकर्त्ता कर्मचारी के पास है।(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 2 पर)।

इससे प्रतीत होता है कि संग्रहण की राशि को समय पर नगर परिषद् कोष में जमा करवाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया जाता है। अतःप्राधिकारी द्वारा इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु ठोस प्रयास किया जाना चाहिए तथा समय–समय पर जमा राशि के जाँच की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

उपरोक्त नहीं जमा की गई राशि ₹1,45,136 को अविलम्ब जमा कर, सूचित करे।

15. अप्रस्तुत रसीद

नगर परिषद् जमुई द्वारा संधारित मकान कर/विविध कर रसीद के भंडार पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि निम्न विविध रसीद अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उक्त रसीद द्वारा वसूली गई राशि तथा जमा अंकेक्षण में नहीं जाँची जा सकी। विवरणी निम्न है:–

क्र0 सं0	विविध रसीद सं0/दिनांक	कर संग्राहक
(i)	01 से 100/04.02.01	श्री सागीर अहमद
(ii)	101 से 200/27.04.05	श्री सागीर अहमद
(iii)	201 से 300/29.08.11	श्री सागीर अहमद

उपर्युक्त रसीदों के लेखा परीक्षा के समक्ष उपस्थापित नहीं किए जाने से परिषद् निधि के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः परिषद् प्रशासन उपर्युक्त रसीदों से वसूली गई राशियों का जमा परिषद् निधि में सुनिश्चित करें एवं अगले लेखा परीक्षा में उपस्थापित करें।

16. ड्राफ्ट द्वारा जमा राशि ₹6.02 लाख का सत्यापन नहीं

नगर परिषद् द्वारा निम्नलिखित राशि विविध रसीद से ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की गईं। प्राप्त राशि का नगर परिषद् कोष में जमा का सत्यापन नहीं किया जा सका।

क्र0 सं0	विविध रसीद सं0/दिनांक	ड्राफ्ट सं0	राशि(₹)	संग्रहकर्त्ता /प्राप्तकर्त्ता का नाम
1	6702/23.03.10 (जमुई टैक्सी स्टैण्ड की बंदोबस्ती)	456951 से 52 तथा 377609 से 14	3,58,000.00	श्री संतोष प्रसाद/रोकड़ पाल
2	6704/23.03.10 (अपर समाहर्त्ता आवास के पीछे ट्रेकर/टैम्पू स्टैण्ड की बंदोबस्ती)	5808281 तथा 5808286 से 88	244000.00	श्री संतोष प्रसाद/रोकड़ पाल
		कुल राशि	6,02,000.00	

उपरोक्त राशि के जमा का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी से कर, जमा से अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय।

17. सैरात बन्दोबस्तधारियों के पास बकाया राशि (₹18.60 लाख)

नगर परिषद् जमुई द्वारा संधारित सैरात पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक सैरात बन्दोबस्ती की राशि ₹17,86,347.00 विभिन्न बन्दोबस्तधारियों के पास लंबित है। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट –3 पर)।

पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन 261/08–09 के अनुसार वर्ष 2007–08 में बन्दोबस्तधारी श्री बबन कुमार एवं श्री बिनो यादव के साथ क्रमशः बोधवन तालाब टैक्सी स्टैण्ड तथा अपर–समार्हत्ता जमुई के आवास के पीछे स्टैण्ड वाले सैरातों की बन्दोबस्ती की गई थी परन्तु उनके पास क्रमशः ₹49,350.00 एवं ₹24,200.00 का बकाया होने के बावजूद पुनः वर्ष 2008–09 में इन दोनों से उपरोक्त सैरातों की ही बन्दोबस्ती क्रमशः ₹6,90,800.00 तथा ₹2,51,000.00 में की गई।

उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि सैरातों की बन्दोबस्ती करने से लेकर बन्दोबस्ती राशि की वसूली की प्रक्रिया में नगर परिषद् द्वारा शिथिलता अपनाए जाने के कारण अब भी विभिन्न बन्दोबस्तधारियों के पास वर्ष

2008–09 से 2010–11 हेतु ₹1 7,87,347.00 एवं पूर्व प्रतिवेदन के अनुसार ₹73,500.00 वसूली हेतु लंबित है।

अतः बन्दोबस्तधारियों के पास लंबित राशि ₹18,60,847.00 (17,87,347+73,500) को शीघ्र वसूलकर एंव नगर परिषद् कोष में जमा कर स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

18. बन्दोबस्तधारकों में बंदोबस्ती की राशि का 3% स्टाम्प शुल्क के रूप में वसूली नहीं (₹2.25 लाख)

सरकार के निर्देशानुसार (पत्रांक 1920/री/मु0 सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव सह आई0 जी0 पंजीयन के पत्र संख्या 549 दिनांक 15.03.05) सैरातों की बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर किया जाना है तथा बंदोबस्तधारी को बंदोबस्ती की राशि का 3% के बराबर मुद्रांक शुल्क जमा करना है। वसूली की गई राशि को संबंधित सरकारी खाते में जमा किया जाना है।

परन्तु नगर परिषद् जमुई में पाया गया कि वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान हुए विभिन्न सैरातों की बंदोबस्ती में बंदोबस्तधारियों से मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं की गई है जिसके कारण कुल ₹2,25,320.00 के राजस्व की हानि हुई (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 4 पर)।

संबंधित दोषी व्यक्ति से ₹2,25,320.00 की वसूली कर एवं सरकार के संबंधित कोष में राशि को जमा कर स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

19. बकाया दुकान किराया ₹2.24 लाख

नगर परिषद् जमुई द्वारा उपलब्ध कराये गए दुकानों के बकाया की सूची के जाँच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न दुकानदारों के पास बकाया के रूप में 31.12.11 तक ₹2,24,000.00 लंबित है। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–05 पर)

संलग्न विवरणी से स्पष्ट है कि क्र0सं0 5 एवं 12 पर वर्जित क्रमशः श्री बैधनाथ मालाकार एवं श्री मुन्ना कुमार केसरी के द्वारा दुकान आवंटन के पश्चात् अब तक एक भी महीने का किराया जमा नहीं कराया गया है। इन दो दुकानदारों के पास वर्ष 2006–07 से अब तक कुल 55,,200.00 बकाया है।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि नगर परिषद् द्वारा बकाया राशि के वसूली हेतु कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा दुकानदारों से आवंटन के समय एकरारनामा भी नहीं किया गया। अभी भी पुराने दर पर ही किराये की वसूली हो रही है। किराये का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए था।

अतः नगर परिषद, जमुई को स्वयं संसाधन स्रोतों से आय में वृद्धि हेतु पुराने किराये का पुननिर्धारण किया जाना चाहिए एवं दुकान किराये की वसूली सुचारू रूप से करवाने हेतु ठोस कदम उठाया जाय। 31.12.11 तक दुकान किरायों के रूप में बकाया की राशि ₹2,24,000.00 की वसूली कर स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

20 भयावह एवं अवकारक व्यापारों की अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली नहीं होने से सरकार को ₹ 1.05 लाख के राजस्व की हानि

नगर परिषद, जमुई के भयावह एवं अवकारक व्यापारों की अनुज्ञप्ति शुतक से संबंधित पंजी की जाँच के क्रम में पाया गया कि 2008–09 से 2010–11 तक अनुज्ञप्ति शुल्क नहीं वसूल किया जा रहा है जिसके कारण 10–11 तक सरकार को ₹ 105275.00 के राजस्व की हानि हो रही है।
(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 06 पर)

नगर परिषद द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

मकान कर संग्राहकों द्वारा भी अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली की जा सकती थी। इस प्रकार नगर परिषद के प्रशासन की शिथिलता के कारण उपरोक्त शुल्क की वसूली नहीं हो रही है। अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय ताकि नगर परिषद् को इस मद में हो रही राजस्व की हानि से बचाया जा सके।

21.संग्रह लेखा/माँग एवं संग्रह पंजी का संधारण नहीं

नगर परिषद् जमुई द्वारा होल्डिग कर की माँग एवं संग्रह पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप वर्ष 2008–09 से 2010–11 हेतु वास्तविक माँग, वसूली एवं बकाया गृह कर की स्थिति की जाँच नहीं हो सकी। वसूली वास्तविक माँग के अनुसार की गई , जाँच नहीं हो सकी।

अंकेक्षण के दौरान कर संग्रहकों द्वारा प्रतिवेदित आँकड़ों के आधार पर दि0 31.03.11 को होल्डिग कर की बकाया राशि ₹63,49,822.00 थी। माँग, संग्रह व बकाया माँग के आँकड़ों का सार निम्न हैः–